

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 148–2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018 (BHADRA 15, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 6th September, 2018

No. 31-HLA of 2018/60/19414.— The Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 31 - HLA of 2018

THE INDIAN STAMP (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2018

A BILL

further to amend the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

- 1. This Act may be called the Indian Stamp (Haryana Amendment) Act, 2018.
- 2. In Schedule 1-A to the Indian Stamp Act, 1899, under column "Proper Stamp Duty", -
 - (a) against article 1, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-
 - "Ten rupees.";
 - (b) against article 2,-
 - (i) in clause (a), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-
 - "One hundred rupees.";
 - (ii) in clause (b), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-
 - "One hundred rupees.";
 - (c) against article 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-
 - "One thousand rupees.";
 - (d) against article 5, in clause (c), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-
 - "Two thousand rupees.";

Short title

Amendment of Schedule 1-A to Central Act 2 of 1899 (e) against article 7, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One hundred rupees.";

- (f) against article 8,-
 - (i) in clause (a), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One hundred rupees.";

(ii) in clause (b), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One hundred rupees.";

- (g) against article 10,-
 - (i) in clause (a), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One thousand rupees.";

(ii) in clause (b), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Two thousand rupees.";

(h) against article 11, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Five hundred rupees.";

- (i) against article 12,-
 - (i) in clause (a), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One percent of value of the property to which the award relates.";

(ii) in clause (b), for the existing entries, the following entries shall be respectively substituted, namely:-

"One percent of value of the property to which the award relates.";

(j) against article 17, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Five hundred rupees.";

(k) against article 22, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One hundred rupees.";

- (l) against article 24,-
 - (i) in clause (i), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Ten rupees.";

(ii) in clause (ii), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Ten rupees.";

- (m) against article 25,-
 - (i) in clause (a), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Ten rupees.";

(ii) in clause (b), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Ten rupees.";

- (n) against article 26,-
 - (i) in clause (a), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One hundred rupees.";

(ii) in clause (b), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One hundred rupees.";

(o) against article 29, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One hundred rupees.";

(p) against article 34, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One hundred rupees.";

- (q) against article 39,-
 - (i) in clause (a), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Five hundred rupees.";

(ii) in clause (b), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One thousand rupees.":

(r) against article 42,- for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Ten rupees.";

- (s) against article 46,-
 - (i) in clause A,-
 - (a) in sub-clause (a), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One thousand rupees.";

(b) in sub-clause (b), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One thousand rupees.";

(ii) in clause B, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One hundred rupees.";

(t) against article 48, in clause (a), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One thousand rupees.";

(u) against article 50, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Ten rupees.";

- (v) against article 57,-
 - (i) in clause (a), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One hundred rupees.";

(ii) in clause (b), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One hundred rupees.";

(w) against article 60, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Ten rupees.";

- (x) against article 61,-
 - (i) in clause (a), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One hundred rupees.";

(ii) in clause (b), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One hundred rupees.";

- (y) against article 64,-
 - (i) in clause (A), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One hundred rupees.";

(ii) in clause (B), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One hundred rupees.";

(z) against article 65, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Ten rupees.";

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The rates of stamp duty which are presently revised in the instruments where stamps of small denominations were fixed since 1967. During these years, the rates of stamp duty have been revised in the neighboring States. Therefore, it becomes necessary for the Haryana State to revise the rate of stamp duty in various Articles/documents. Accordingly, the State Government of Haryana intends to enhance the rate of stamp duty under Article No. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 22, 24, 25, 26, 29, 34, 39, 42, 46, 48, 50, 57, 60, 61, 64 and 65 of Schedule 1-A of the Indian Stamp Act, 1899. Therefore, the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2018 is placed on the table of House.

CAPTAIN ABHIMANYU, Revenue and Disaster Management Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the Introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh: The 6th September, 2018.

SUBHASH CHANDER, Additional Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The rate of stamp duty which are presently revised in the instruments where stamps of small denominations were fixed since 1967. During these years, the rates of stamp duty have been revised in the neighboring States. Therefore, it becomes necessary for the Haryana State to revise the rate of stamp duty in various Articles/documents. Accordingly, the State Government of Haryana intends to enhance the rate of stamp duty under Article No. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 22, 24, 25, 26, 29, 34, 39, 42, 46, 48, 50, 57, 60, 61, 64 and 65 of Schedule 1-A of the Indian Stamp Act, 1899. The Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2018 will increase the income of the State upto Rupees 10 crore yearly. The existing and the proposed rates of stamp duty are as under:-

Article	Description of Instrument	Present Stamp Duty	Proposed Stamp Duty
1.	Acknowledgement of a debt exceeding twenty rupees in amount or value, written or signed by, or on behalf of, a debtor in order to supply evidence of such debt in any book (other than a banker's passbook) or on a separate piece of paper when such book or paper is left in the creditor's possession: Provided that such acknowledgement	Twenty-Five Naye Paise	Ten rupees
	does not contain any promise to pay the debt or any stipulation to pay interest or to deliver any goods or other property.		
2.	Administration Bond, including a bond given under section 6 of the Government Savings Banks Act, 1873, or sections 291, 375 and 376 of the Indian Succession Act, 1925:-		
	(a) where the amount does not exceed Rs. 1,000.	The same duty as a Bond (No. 15) for such amount,	One hundred rupees
	(b) in any other case.	Fifteen rupess	One hundred rupees
3.	Adoption-Deed, that is to say, any instrument (other than a Will), recording an adoption, or conferring or purporting to confer an authority to adopt.	Thirty-seven rupees, fifty Naye Paise	One thousand rupees
5.	Agreement or Memorandum of an agreement - (c) if not otherwise provided for:	Two rupees, twenty-five Naye Paise	Two thousand rupees
7.	Appointment in Execution of a Power, whether of trustees or of property, movable or immovable, where made by any writing not being a Will.	Thirty-seven rupees, fifty Naye Paise	One hundred rupees
8.	Appraisement or Valuation made otherwise than under an order of the Court in the course of a suit –		
	(a) where the amount does not exceed Rs. 1,000;	The same duty as a Bottomry Bond (No. 16) for such amount,	One hundred rupees
	(b) in any other case.	Fifteen rupees.	One hundred rupees
10.	(a) When the authorized capital of the company does not exceed rupees one	Sixty rupees,	One thousand rupees
	lac; (b) in other cases	One hundred and twenty rupees	Two thousand rupees

11.	Articles of Clerkship, or contract whereby any person first becomes bound to serve as a clerk in order to his admission as an attorney in any High Court.	Two hundred and fifty rupees	Five hundred rupees
12.	AWARD, that is to say, any decision in writing by an arbitrator or umpire, not being an award directing a partition, on a reference made otherwise than by an order of the Court in the course of a suit – (a) where the amount or value of the property to which the award relates as set forth in such award, does not exceed Rs.1000; (b) if it exceeds Rs. 1,000 but does not	The same duty as a Bond (No. 15) for such amount, Fifteen rupees	One percent of value of the property to which the award relates One percent of value of the property to
	exceed Rs. 5,000. and for every additional Rs. 1,000 or part thereof in excess of Rs. 5,000	One rupee, fifteen Naye Paise subject to a maximum of one hundred and twelve rupees, fifty Naye Paise	which the award relates One percent of value of the property to which the award relates
17.	Cancellation-Instrument of (including any instrument by which instrument previously executed is cancelled), if attested and not otherwise provided for	Fifteen rupees	Five hundred rupees
22.	Composition-Deed, that is to say, any instrument executed by a debtor whereby he conveys his property for the benefit of his creditors, or whereby payment of a composition or dividend on their debts is secured to the creditors, or whereby provision is made for the continuance of the debtor's business under the supervision of inspectors or under letters of license, for the benefit of his creditors.	Thirty rupees	One hundred rupees
24.	Copy or Extract, certified to be true copy or extract, by or by order of any public officer and not chargeable under the law for the time being in force relating to court-fees-		
	 (i) if the original was not chargeable with duty or if the duty with which it was chargeable does not exceed two rupees; (ii) in any other case. Not falling within 	One rupee, fifteen Naye Paise, Three rupees	Ten rupees Ten rupees
25.	the provisions of section 6-A Counterpart or Duplicate of any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid-		
	(a) if the duty with which the original instrument is chargeable does not exceed two rupees;	One rupee, fifteen Naye Paise,	Ten rupees
	(b) in any other case not falling within the provisions of section 6-A	Three rupees	Ten rupees

26.	Customs-Bonds- (a) where the amount does not exceed Rs. 1,000;	The same duty as a Bond (No. 15) for such amount,	One hundred rupees
	(b) in any other case.	Fifteen rupees	One hundred rupees
29.	Divorce, Instrument of that is to say, any instrument by which any person effects the dissolution of his marriage.	Thirty rupees	One hundred rupees
34.	Indemnity Bond,	The same duty as a Security Bond (No. 57) for the same amount	One hundred rupees
39.	Memorandum of Association of a Company-, (a) if accompanied by articles of association under sections 26, 27 and 28 of the Companies Act, 1956;	Sixty rupees,	Five hundred rupees
	(b) if not so accompanied.	One hundred and fifty rupees	One thousand rupees
42.	Notarial Act,- that is to say, any instrument, endorsement, note, attestation certificate or entry not being a Protest (No. 50) made or signed by a Notary Public in the execution of the duties of his office, or by any other person lawfully acting as a Notary Public.	Four rupees, fifty Naye Paise	Ten rupees
46.	Partnership- A-Instrument of- (a) where the capital of the partnership	Three rupees, seventy five Naye	One thousand rupees
	(a) where the capital of the partnership does not exceed Rs. 500;	Paise,	One thousand rupees
	(b) in any other Case	Twenty-two rupees, fifty Naye Paise",	One thousand rupees
	B-Dissolution of	Fifteen rupees	One hundred rupees
48	Power of Attorney (as defined by Section 2(21), not being a Proxy (No. 52)- (a) when executed for the sole purpose of procuring the registration of one or more document in relation to a single transaction or for admitting execution of one or more such documents;	Three hundred rupees	One thousand rupees
50.	Protest of Bill or Note, that is to say, any declaration in writing made by a Notary Public or other person lawfully acting as such, attesting the dishonour of a bill of exchange or promissory note.	Three rupees	Ten rupees
57.	Security-Bond or Mortgage Deed, executed by way of security for the due execution of an office, or to account for money or other property received by virtue thereof, or executed by a surety to secure the due performance of a contract or the due discharge of liability.		
	(a) when the amount secured does not exceed Rs.1,000;	The same duty as a Bond (No. 15) for the amount secured,	One hundred rupees
	(b) in any other case	Fifteen rupess	One hundred rupees

60.	Shipping Order	Fifteen Naye Paise	Ten rupees
61.	Surrender of Lease- (a) when the duty with which the lease is chargeable does not exceed ten rupees;	The same duty with which such lease is chargeable,	One hundred rupees
	(b) in any other case	Fifteen rupees	One hundred rupees
64.	Trust: A - Declaration of - of, or concerning, any property when made by any writing not being a Will. B -Revocation of - of, or concerning any	The same duty as a Bond (No. 15) for a sum equal to the amount or value of the property concerned, as set forth in the instrument, but not exceeding forty-five rupees, The same duty as a Bond	One hundred rupees One hundred rupees
	property when made by any instrument other than a Will.	(No. 15) for a sum equal to the amount or value of the property concerned as set forth in the instrument, but not exceeding thirty rupees	One number rupees
65.	Warrant For Goods, that is to say, any instrument evidencing the title of any person therein named, or his assigns, or the holder thereof, to the property in any goods lying in or upon any dock, warehouse or wharf, such instrument being signed or certified by or on behalf of the person in whose custody such goods may be.	One rupees fifteen Naye Paise	Ten rupees

(प्राधिकृत अनुवाद)

2018 का विधेयक संख्या – 31 एच.एल.ए.

भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899. हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :-

यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। 1.

संक्षिप्त नाम

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, की अनुसूची 1-क में, "उचित स्टाम्प शुल्क", खाने के नीचे,-2.

अनुच्छेद 1 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"दस रुपये।":

- अनुच्छेद 2 के सामने,-(ख)
 - खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-"एक सौ रुपये।":
 - खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"एक सौ रुपये।";

- अनुच्छेद 3 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित (ग) की जाएगी, अर्थात:-"एक हजार रुपये।":
- अनुच्छेद 5 के सामने, खण्ड (ग) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि (ਬ) प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--"दो हजार रुपये।":
- अनुच्छेद ७ के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित (ङ) की जाएगी, अर्थात:-"एक सौ रुपये।";
- अनुच्छेद 8 के सामने,-(च)
 - खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-"एक सौ रुपये।":
 - खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित (ii) की जाएगी, अर्थात्:-

"एक सौ रुपये।":

- अनुच्छेद 10 के सामने,-(छ)
 - खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-"एक हजार रुपये।":
 - खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित (ii) की जाएगी, अर्थात:-

"दो हजार रुपये।":

1899 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की अनुसूची 1-क का संशोधन ।

- (ज) अनुच्छेद 11 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "पांच सौ रुपये।";
- (झ) अनुच्छेद 12 के सामने,-
 - (i) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"सम्पत्ति, जिससे पंचाट सम्बन्धित है, के मूल्य का एक प्रतिशत।";

- (ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, , अर्थात्:— "सम्पत्ति जिससे पंचाट सम्बन्धित है, के मुल्य का एक प्रतिशत।";
- (ञ) अनुच्छेद 17 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "पांच सौ रुपये।":
- (ट) अनुच्छेद 22 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "एक सौ रुपये।":
- (ठ) अनुच्छेद 24 के सामने,-
 - (i) खण्ड (i) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "दस रुपये।":
 - (ii) खण्ड (ii) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:— "दस रुपये।":
- (ड) अनुच्छेद 25 के सामने,-
 - (i) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "दस रुपये।";
 - (ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "दस रुपये।":
- (ढ) अनुच्छेद 26 के सामने,-
 - (i) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "एक सौ रुपये।":
 - (ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "एक सौ रुपये।";
- (ण) अनुच्छेद 29 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "एक सौ रुपये।";
- (त) अनुच्छेद 34 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "एक सौ रुपये।";
- (थ) अनुच्छेद ३९ के सामने,-
 - (i) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "पांच सौ रुपये।":
 - (ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "एक हजार रुपये।":

(द) अनुच्छेद 42 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"दस रुपये।":

- (ध) अनुच्छेद ४६ के सामने,-
 - (i) खण्ड क में,-
 - (क) उप—खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः— "एक हजार रुपये।":
 - (ख) उप—खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः— "एक हजार रुपये।":
 - (ii) खण्ड ख में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "एक सौ रुपये।":
- (न) अनुच्छेद ४८ के सामने, खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः— "एक हजार रुपये।":
- (प) अनुच्छेद 50 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "दस रुपये।";
- (फ) अनुच्छेद 57 के सामने,-
 - (i) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"एक सौ रुपये।":

(ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"एक सौ रुपये।";

(ब) अनुच्छेद 60 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "दस रुपये।":

(भ) अनुच्छेद 61 के सामने,-

- (i) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "एक सौ रुपये।";
- (ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "एक सौ रुपये।":
- (म) अनुच्छेद ६४ के सामने,-
 - (i) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "एक सौ रुपये।":
 - (ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "एक सौ रुपये।":
- (य) अनुच्छेद 65 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"दस रुपये।":

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

स्टाम्प शुल्क की दर जो वर्तमान में दस्तावेजों में संशोधित की जानी है जहां कम मूल्यवर्ग की टिकटें जो 1967 में निर्धारित की गई थीं। इन वर्षों के दौरान, पड़ोसी राज्यों में स्टाम्प शुल्क की दरों में संशोधन किया गया है। इसलिए, हरियाणा राज्य के लिए विभिन्न अनुच्छेदों / दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क की दर में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। तदानुसार, स्टाम्प शुल्क की दरों को अन्य राज्यों की तुलना में तर्कसंगत बनाने के लिए हरियाणा राज्य के स्टाम्प शुल्क में संशोधन की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1—ए के अनुच्छेद संख्या 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 22, 24, 25, 26, 29, 34, 39, 42, 46, 48, 50, 57, 60, 61, 64 और 65 में संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को सदन पटल पर रखा गया है।

कैप्टन अभिमन्यु, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मन्त्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ : दिनांक 6 सितम्बर, 2018. सुभाष चन्द्र, अपर सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

स्टाम्प शुल्क की दर जो वर्तमान में दस्तावेजों में संशोधित की जानी है जहां कम मूल्यवर्ग की टिकटें जो 1967 में निर्धारित की गई थीं। इन वर्षों के दौरान, पड़ोसी राज्यों में स्टाम्प शुल्क की दरों में संशोधन किया गया है। इसलिए, हिरयाणा राज्य के लिए विभिन्न अनुच्छेदों/दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क की दर में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। तदानुसार, हिरयाणा सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1—ए के अनुच्छेद संख्या 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 22, 24, 25, 26, 29, 34, 39, 42, 46, 48, 50, 57, 60, 61, 64 और 65 में स्टाम्प शुल्क की दरों के प्रावधानों में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इसलिए भारतीय स्टाम्प (हिरयाणा संशोधन) विधेयक, 2018 से राज्य की आय में सालाना 10 करोड़ की वृद्धि होगी। वर्तमान और स्टाम्प शुल्क की प्रस्तावित दरें निम्नानुसार है:—

मद	लिखतों का वर्णन	प्रचलित स्टाम्प शुल्क	प्रस्तावित स्टाम्प शुल्क दर
1.	पावती— किसी ऐसे ऋण की जिसकी रकम या मूल्य बीस रुपये से अधिक हो अभिस्वीकृति जो ऋणी द्वारा या उसकी ओर से किसी बही (जो बैंकर की पास बुक से भिन्न हो), में या किसी पृथक कागज पर, जबकी ऐसी बही या कागज लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया हो, ऐसे ऋण का साक्ष्य प्रदाय के लिए लिखी जाये या हस्ताक्षर की जायेः परन्तु ऐसी अभिस्वीकृति में ऋण चुकाने का कोई वचन या ब्याज देने का कोई अनुबंध या किसी माल या अन्य संपति का परिदान करने का अनुबंध अन्तर्विष्ट नहीं है।	पच्चीस नये पैसे	दस रुपये
2.	प्रशासन बंधपत्र— जिसके अन्तर्गत इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925 की धारांए 291, 375, या 376 या गर्वमेंन्ट सेविंग्स बैंक एक्ट, 1873 की धारा 6 के अधीन दिया गया बंध पत्र आता है। (क) जहां राशि एक हजार रुपये से अधिक न हो	"वही शुल्क जो एसी रकम के लिए बॉन्ड (क्रमांक 15) पर लगता है"	एक सौ रुपये
	(ख) कोई भी अन्य मामला	पन्द्रह रुपये	एक सौ रुपये
3.	दत्तक विलेख, अर्थात दत्तक ग्रहण की अभिलिखित करने वाली या दत्तक ग्रहण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करने वाली या प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित कोई लिखित (जो विल से भिन्न हो)।	सेंतीस रुपये, पचास नये पैसे	एक हजार रुपये
5.	करार या करार का ज्ञापन—(ग) यदि उसके लिए अन्यथा उपबंध न किया गया हो।	दो रुपये, पच्चीस नये पैसे	दो हजार रुपये
7.	शक्ति के निष्पादन में नियुक्ति, चाहे वह न्यायसियों की हो अथवा जंगम या स्थावर संपत्ति की हो, जहां की वह किसी लेख द्वारा जो विल न हों, की गई हो।	सेंतीस रुपये, पचास पैसे	एक सौ रुपये
8	मूल्यन या मूल्यांकन—जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश न किया जाकर अन्यथा किया गया हो:—		
	(क) जहां राशि 1000 / — रुपये से अधिक नहीं है।	"वही शुल्क जो एसी रकम के लिए बॉन्ड (क्रमांक 15) पर लगता है"	एक सौ रुपये
	ख— किसी भी अन्य मामले में।	पन्द्रह रुपये	एक सौ रुपये

10	कम्पनी के अन्तर्नियम–		
	(क) जब कम्पनी की कोई अंश पूंजी न हो या अभिहित (नामिनल) अंश पूंजी एक लाख रुपये से अधिक न हो।	साठ रुपये	एक हजार रुपये
	(ख) अन्य मामलों में	एक सौ, बीस रुपये	दो हजार रुपये
11	लिपिक पदीय—संविदा के लेख, जिनके द्वारा पहले कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में अटार्नी के रूप में प्रवेश पाने के लिए लिपिक के रूप में सेवा करने के लिए आबद्ध हो जाता है।	दो सौ, पच्चास रुपये	पांच सौ रुपये
12	पंचाट अर्थात् किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश से न किया जाकर अन्यथा किये गये किसी निर्देश पर किसी मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा लिखित में दिया गया कोई विनिश्चय जो विभाजन को निर्देश देने वाला पंचाट न हो:—		
	(क) जहां ऐसी संपत्ति जिससे कि पंचाट संबंधित हो की रकम या मूल्य जैसा कि ऐसे पंचाट में उपवर्णित हो, 1000 रुपये से अधिक न हो;	"वही शुल्क जो एसी रकम के लिए बॉन्ड (क्रमांक 15) पर लगता है"	सम्पत्ति जिससे पंचाट सम्बन्धित है, के मूल्य का एक प्रतिशत।
	(ख) जहां यदि वह 1000 रुपये से अधिक हो किन्तु 5000 रुपये से अधिक न है	पन्द्रह रुपये	सम्पत्ति जिससे पंचाट सम्बन्धित है, के मूल्य का एक प्रतिशत।
	और 5000 रुपये से अधिक प्रत्येक, अतिरिक्त 1000 रुपये या उसके भाग के लिए	एक रुपया, पन्द्रह नये पैसे और बारह रुपये, पचास पैसे अधिकतम सौ नये पैसे के अधीन है ।	सम्पत्ति जिससे पंचाट सम्बन्धित है, के मूल्य का एक प्रतिशत।
17	रहकरण का लिखत (जिसके अर्न्तगत ऐसा कोई भी लिखत आता है जिसके कि द्वारा पूर्व में निष्पादित किया गया कोई लिखत रह कर दिया गया हो), यदि वह अनुप्रमाणित हो और उसके लिए अन्यथा उपबन्ध न किया गया हो।	पन्द्रह रुपये	पांच सौ रुपये
22	प्रशमन, विलेख, अर्थात किसी ऋणी द्वारा निष्पादित कोई लिखत जिसके द्वारा वह अपने लेनदारों के फायदे के लिए अपनी संपत्ति हस्तांतरित करता है या जिसके द्वारा उनके ऋणों पर प्रशमन—धन या लाभांश का संदाय लेनदारों को प्रतिभूत किया जाता है या जिसके द्वारा निरीक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन या अनुज्ञप्ति—पत्रों के अधीन ऋणों के कारोबार को उसके लेनदारों के फायदे के लिए चालू रखने के लिए उपबन्ध किया जाता है।	तीस रुपये	एक सौ रुपये
24	प्रतिलिपि या उद्धरण, जो किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से सही प्रतिलिपि या उद्धरण होना प्रमाणित किया गया है, और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है।		
	(i) यदि वह शुल्क जिसके साथ वह चार्ज नहीं किया गया हो दो रुपये से अधिक ना हो	एक रुपया, पन्द्रह नये पैसे	दस रुपये
	(ii) किसी भी अन्य मामले में, धारा 6–ए के प्रावधान में नहीं आ रहा हो।	तीन रुपये	दस रुपये

		T	
25	प्रतिलेख या दूसरी प्रति किसी लिखत का, जो कि शुल्क से प्रभारित किए जाने योग्य हो, और जिसके संबंध में उचित शुल्क चुका दिया गया हो।		
	(क) यदि शुल्क जोकि मूल लिखत पर प्रभीय हो, दो रुपये से अधिक ना हो	एक रुपया, पन्द्रह नये पैसे	दस रुपये
	(ख) किसी भी अन्य मामले में, धारा 6—ए के प्रावधान में नहीं आ रहा हो।	तीन रुपये	दस रुपये
26	सीमा शुल्क बंध-पत्र		
	(क) जहां राशि एक हजार रुपये से अधिक न हो	"वही शुल्क जो एसी रकम के लिए बॉन्ड (क्रमांक 15) पर लगता है"	एक सौ रुपये
	(ख) कोई भी अन्य मामला	पन्द्रह रुपये	एक सौ रुपये
29	विवाह विच्छेद की लिखत, अर्थात कोई ऐसी लिखत जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विवाह का विघटन करता है।	तीस रुपये	एक सौ रुपये
34	क्षतिपूर्ति—बन्ध—पत्र, ;	"वही शुल्क, जो सुरक्षा बॉन्ड (क्रमांक 57) पर लगता है"	एक सौ रुपये
39	कम्पनी का संथा–ज्ञापन–		
	(क) यदि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 26, 27 और 28 के अधीन संथा के अंतर्नियम संलग्न हो;	साठ रुपये	पांच सौ रुपये
	(ख) यदि ऐसा नहीं है।	एक सौ पच्चास रुपये	एक हजार रुपये
42	नोटरी कार्य अर्थात कोई भी ऐसी लिखत, पृष्ठांकन,	चार रुपये पच्चास नये पैसे	दस रुपये
	नोट, अनुप्रमाणन, प्रमाणपत्र या प्रविष्टि जो अनादर प्रमाणन (प्रोटेस्ट) (क्रमांक 50) न हो और जो नोटरी पब्लिक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में, या नोटरी पब्लिक के रूप में विधिपूर्वक कार्य करते हुए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई हो या हस्ताक्षरित की गई हो।		
46	भागीदारी–		
	क–दस्तावेज		
	(क) जहां भागीदारी की पूंजी 500 रुपये से अधिक ना हो।	तीन रुपये पव्हत्तर नये पैसे	एक हजार रुपये
	(ख) किसी दूसरे मामले में।	बाईस रुपये पच्चास नये पैसे	एक हजार रुपये
	ख–विघटन का	पन्द्रह रुपये	एक सौ रुपये
48	मुख्तारनामा, जैसा कि धारा 2(21) में परिभाषित किया गया है, जो कि प्रतिपत्र (प्राक्सी) (क्रमांक 52) न हो,—		
	(क) जबिक एक ही संव्यवहार से संम्बधित एक या अधिक दस्तावेजों का रिजस्ट्रीकरण उपाप्त करने के लिए एकमात्र प्रयोजन के लिए या ऐसे एक या अधिक दस्तावेजों का निष्पादन स्वीकार करने के लिए निष्पादित किया गया हो,	तीन सो रुपये	एक हजार रुपये
50	विपन्न या नोट का अनादर प्रमाणन, अर्थात नोटरी पब्लिक या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो किसी उस रूप में विधिपूर्वक कार्य करता हो, लिखित में की गई ऐसी घोषणा जो विनिमय पन्न या प्रामिसरी नोट को अनादर करने का अनुप्रमाणन करता हो।	तीन रुपये	दस रुपये
L	L · ·	1	<u> </u>

57	प्रतिभूति पत्र या बन्धक विलेख जो किसी पदीय कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए प्रतिभूत के रूप में निष्पादित किया गया हो या जो उसके आधार पर प्राप्त किए गए धन या प्राप्त की गई अन्य सम्पत्ति का लेखा—जोखा देने के लिए निष्पादित किया गया हो या संविदा के सम्यक् पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभू द्वारा निष्पादित किया गया हो।		
	(क) जबिक प्रतिभूति रकम एक हजार रुपये से अधिक न हो;	"वही शुल्क जो प्रतिभूत रकम के बन्धपत्र (क्रमांक 15) पर लगता है"	एक सौ रुपये
	(ख) किसी अन्य मामले में।	पन्द्रह रुपये	एक सौ रुपये
60	पोत द्वारा भेजने का आदेश—	पन्द्रह नये पैसे	दस रुपये
61	पट्टे का अभ्यर्पण— (क) जब पट्टे पर प्रभीय शुल्क दस रुपये से अधिक न हो ;	शुल्क जो ऐसे पट्टे पर प्रर्भाय हो	एक सौ रुपये
	(ख) किसी अन्य मामले में।	पन्द्रह रुपये	एक सौ रुपये
64	न्यास— (क) न्यास की घोषणा या कोई संपत्ति संबंधी लिखत जबकि वह किसी ऐसी लिखत द्वारा लिखा गया हो, जो कि विल न हो ।	वही शुल्क जो संबंधित संपति की रकम या मूल्य, जो कि लिखत में उपवर्णित हो, के बराबर राशि के बंध पत्र (क्रमांक 15) पर लगता है, किन्तु पैतालीस रुपये से अधिक न हो।	
	(ख) न्याय का प्रतिसंहरण या कोई संपत्ति संबंधी लिखत जबिक वह विल को छोड़कर किसी अन्य लिखत द्वारा लिखा गया हो।	वही शुल्क जो संबंधित संपति की रकम या मूल्य, जो कि लिखत में उपवर्णित हो, के बराबर राशि के बंध पत्र (क्रमांक 15) पर लगता है, किन्तु तीस रुपये से अधिक न हो।	एक सौ रुपये
65	माल के लिए अधिपत्र अर्थात ऐसी कोई लिखत जो उसमें नामित किसी व्यक्ति के या उसके समनुदेशितियों के या उसके धारक के, किसी डाक, भाण्डागार या घाट में या पर पडे किसी माल में, संपति संबंधी हक को प्रमाणित करता हो, जबिक ऐसी लिखत ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से, जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल हो, हस्ताक्षरित या प्रमाणित किया गया हो।	एक रुपया पन्द्रह पैसे	दस रुपये